केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने किया अनुमोदन

संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत राज्य के अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार

जयपुर, 25 अप्रेल। राजस्थान सरकार के सतत प्रयासों से केन्द्रीय मंत्रीमण्डल द्वारा संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों का अनुमोदन 25 अप्रेल को किया गया। नवीन अनुसूचित क्षेत्र को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत प्राप्त सुरक्षा लाभ भी प्राप्त हो सकेंगे।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री नन्दलाल मीणा के अनुसार राज्य में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.02.1981 से अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। जिसके अनुसार राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में कुल—5 जिले क्रमश— बांसवाडा (सम्पूर्ण जिला), डूंगरपुर (सम्पूर्ण जिला), उदयपुर (आंशिक), प्रतापगढ, (सम्पूर्ण जिला तहसील छोटीसादडी के अतिरिक्त) एवं सिरोही (केवल पंचायत समिति आबूरोड) शामिल है।

अनुसूचित क्षेत्र से लगते हुए क्षेत्र, जो कि अनुसूचित क्षेत्र. के रूप में घोषित किए जाने के निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति करते हैं, को भी अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कराये जाने की मांग लम्बे समय से संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण एवं निवासियों द्वारा की जा रही थी। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव तैयार कर राज्य मंत्री मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए।

अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया। तत्पश्चात् अनुसूचित क्षेत्र विस्तार के प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भिजवाये गये।

नये 663 गांव एवं 3 नगरपालिका क्षेत्र

अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों के अनुमोदन से राज्य के कुल 663 गांव एवं 3 नगरपालिका क्षेत्र क्रमशः उदयपुर जिले की 5 तहसीलों के 342 गांव, राजसमन्द जिले की 2 तहसीलों के 31 गांव, चित्तौड़गढ़ जिले की बडी सादड़ी तहसील के 51 गांव, प्रतापगढ़ जिले की सम्पूर्ण छोटी सादडी तहसील के 155 गांव एवं 1 नगर पालिका, पाली जिले की बाली तहसील के 33 गांव, सिरोही जिले की पिण्डवाड़ा तहसील के 51 गांव एवं आबूरोड, माउण्ट आबू नगरपालिका क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में अतिरिक्त शामिल किया गया है। जिसकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल—7,39,431 जनसंख्या है।

केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के अनुमोदन पश्चात राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ संपूर्ण जिला तथा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली व सिरोही जिलो की 9 सम्पूर्ण तहसील एवं 1 सम्पूर्ण पंचायत समिति एवं 46 सम्पूर्ण ग्राम पंचायत के कुल—227 गांव शामिल है। जिसकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 64,63,353 जनसंख्या है। अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अतिशीघ्र अधिसूचना जारी की जायेंगी।

अनुसूचित क्षेत्र में अब कुल 5697 ग्राम एवं 9 नगर पालिका क्षेत्र

केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के अनुमोदन पश्चात अनुसूचित क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ सम्पूर्ण जिला शामिल होगा जिसमें बांसवाड़ा के 1513 ग्राम व 2 नगर पालिका, डूंगरपुर के 976 गांव व 2 नगर पालिका तथा प्रतापगढ़ के 1003 गांव व 2 नगर पालिका क्षेत्र शामिल है।

इसी प्रकार उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के 262 गांव, झाड़ोल के 283, लसाड़िया के 114, सलूम्बर के 268 गांव व 1 नगर पालिका क्षेत्र, सराड़ा के 191, खेरवाड़ा के 195, ऋषभदेव के 125, गोगुन्दा के 237, गिर्वा तहसील (आंशिक) के 218, बड़गांव (आंशिक) के 35, मावली (आंशिक) के 4, वल्लभनगर आंशिक के 22 गांव शामिल है।

सिरोही जिले के आबूरोड तहसील क्षेत्र के 85 गांव व 2 नगर पालिका, पिण्डवाड़ा (आंशिक) के 51 गांव, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ (आंशिक) के 16 तथा नाथद्वारा (आंशिक) के 15 गांव, चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी (आंशिक) के 51 गांव एवं पाली जिले के बाली (आंशिक) तहसील के 33 गांव अनुसूचित क्षेत्र में आ रहे हैं।
